राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 759/2012

जसराम जाट पुत्र श्री भोंड राम जाट उम्र लगभग 41 वर्ष, कॉन्टेबल-157, पुलिस लाइन, टोंक, स्थायी निवासी ग्राम मांधा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।

2. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक।

3. थाना प्रभारी, थाना ओल्ड टोंक, जिला टोंक।

---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री जे.पी. गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता
		सुश्री ज्योति स्वामी के साथ
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री पी.एस. नरुका
		श्री रूपिन काला के लिए

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

<u>निर्णय</u>

आदेश आरक्षित करने की तारीख	:	27.09.2023
उच्चारित करने की तारीख	:	11.10.2023

रिपोर्टेबल

1. अनुशासन अनुशासनात्मक बलों की पहचान है और इसके सदस्यों से शराब पीकर

अनुशासन का उल्लंघन करने और नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर घूमने की आशा नहीं की जाती है। क्या ऐसे व्यक्तियों को मौखिक आदेश पारित किए बिना और उचित और पर्याप्त कारणों को दर्ज किए बिना ऐसे आरोपों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है? इस पृष्ठभूमि में इस याचिका में शामिल मुद्दे पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

2. दिनांक 08.11.2011 और 17.02.2011 के आक्षेपित गैर-सकारण आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की है: –

> "i) पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर द्वारा पारित दिनांक 08.11.2011 (अनुलग्नक-7) के आक्षेपित आदेश को रद्द करना।
>
> ii) पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक द्वारा पारित दिनांक 17.02.2011 (अनुलग्नक-5) के आदेश को रद्द और निरस्त करना।
>
> iii) अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त करना और उस पर लगाए गए दंड को रद्द करना।
>
> iv) कोई अन्य उचित आदेश, निर्देश या राहत जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित, न्यायसंगत और उचित समझे, वह भी अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया जाए।
>
> v) अपीलार्थी के पक्ष में रिट याचिका की लागत भी दी जाए।

<u>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतियां</u>

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में '1958 के नियम') के नियम 17 के तहत इस आरोप के साथ आरोप-पत्र दायर किया गया था कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्थात 17.12.2010 को, अपीलार्थी नशे की हालत में पाया गया था और उसके असंतुलन के कारण, उसे कुछ चोटें आईं, जिसके लिए उसकी चिकित्सा जांच की गई और वह नशे की हालत में पुलिस लाइन के क्वार्टरों के आसपास भटकते हुए पाया गया। अधिवक्ता ने

प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा आरोप-पत्र का एक विस्तृत उत्तर दिया गया था, जिसमें अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि वह उस दिन ड्यूटी पर नहीं था और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसके लिए उसने दवा ली और उक्त दवा की प्रतिक्रिया के कारण, अपीलार्थी सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि प्रारंभिक जांच भी की गई थी और जांच में यह पाया गया कि अपीलार्थी ड्यूटी पर नहीं था और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन सभी पहलुओं को खारिज करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें दोषी पाया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत (15 में से 3) [सीडब्ल्यू-759/2012] रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ सजा का आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा संचयी प्रभाव के बिना उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, लेकिन अपील में उठाए गए आधारों की अनदेखी करते हुए, अपील को खारिज कर दिया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए। अधिवक्ता ने ***प्रताप सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.1987/98*** पर 13.08.2002 को निर्णित मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है।

<u>प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुतियाँ:</u>

4. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी एक अनुशासन बल का हिस्सा था और उसे अनुशासित तरीके से कार्य करना और व्यवहार करना था, लेकिन वह नशे की हालत में पाया गया और नशे के कारण, वह सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। जब चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की चिकित्सा जांच की गई, तो इस तथ्य को और सत्यापित किया गया कि अपीलार्थी नशे में पाया गया था और उसने दुर्भाग्यपूर्ण दिन शराब का सेवन किया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सुनवाई का अवसर देने के बाद, उनके खिलाफ जांच की गई थी, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था। तदनुसार, आक्षेपित आदेश को संचयी प्रभाव के बिना उनकी एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए पारित किया गया था।

अधिवक्ता का कहना है कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके साक्ष्यों की फिर से सराहना करने से बचना चाहिए। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने बिहार राज्य और अन्य के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ***बिहार सरकार और अन्य बनाम बनाम फूलपरी कुमारी ने (2020) 2 सुप्रीम कोर्ट मामला 130*** पर भरोसा किया है। अधिवक्ता ने कहा कि इन परिस्थितियों में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>तर्क और विश्लेषण:</u>

5. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों को सुना और विचार किया। इस याचिका में कानूनी मुद्दा यह है कि क्या किसी कर्मचारी के खिलाफ सजा के आदेश में कारण दिए जाने चाहिए या एक पंक्ति का निष्कर्ष दर्ज करना उसे कथित कदाचार के लिए दंडित करने के लिए पर्याप्त है?

6. 1958 के नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं। अनुच्छेद 309 का परंतुक राज्य के मामलों से जुड़ी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति का स्रोत है। इन नियमों का अध्याय V अनुशासन और किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाने वाले दोषी कर्मचारियों पर लगाए गए दंड से संबंधित है।

7. 1958 के नियमों के नियम 14 दंड की प्रकृति से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:–

> "**14. दंड की प्रकृति**–निम्नलिखित दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें दर्ज किया जाएगा, और जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है, सरकारी कर्मचारी पर लगाया जा सकता है, अर्थात्:-
>
> (i) निंदा;
>
> (ii) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना;

(iii) किसी कानून, नियम या आदेश की लापरवाही या उल्लंघन से सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या हिस्से के वेतन से वसूली;

(iv) सेवा, ग्रेड या पद में अवनति; या निचले वेतनमान पर या समय मान में निचले स्तर पर या पेंशन के मामले में नियमों के तहत देय राशि से कम राशि तक;

(v) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vi) सेवा से हटाया जाना जो आमतौर पर आगे के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;

(vii) सेवा से बर्खास्तगी जो आमतौर पर आगे के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।

स्पष्टीकरण:–

(1) निम्नलिखित, नियम के अर्थ में दंड नहीं होगा:–

(i) सेवा या पद को शासित करने वाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता के लिए सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि को रोकना;

(ii) सरकारी कर्मचारी को समय पैमाने में दक्षता बार पार करने पर रोकने के लिए अयोग्यता छिपाने के आधार पर;

(iii) गैर-पदोन्नति, चाहे वह सरकारी कर्मचारी की वास्तविक या कार्यवाहक क्षमता में हो, उसके मामले पर विचार करने के बाद, पदोन्नति के लिए किसी सेवा, ग्रेड या पद पर, जिसके लिए वह पात्र है;

(iv) उच्च सेवा ग्रेड या पद पर कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी की निचली सेवा, ग्रेड या पद को इस आधार पर प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उसे परीक्षण के बाद ऐसी उच्च सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त माना जाता है या प्रशासनिक आधार पर उसका आचरण उससे असंबद्ध है।

(v) परिवीक्षा की शर्तों अथवा परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में किसी अन्य सेवा, ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी की उसकी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद की प्रत्यावर्तन;

(vi) सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vii) सेवा की समाप्ति-

क) परिवीक्षा की शर्तों या परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके अंत में परिवीक्षा पर नियुक्त सरकारी सेवक; अथवा

ख) नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर अनुबंध के तहत अन्यथा नियुक्त एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति;

ग) ऐसे करार की शर्तों के अनुसार, एक करार के तहत सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति;

घ) एकीकरण नियमों के अनुसार एकीकृत राजस्थान राज्य की किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए गैर-चयन या गैर-अवशोषण पर राजस्थान की किसी भी एकीकृत इकाई की सेवाओं में सरकारी कर्मचारी की सेवा;

स्पष्टीकरण:–

(2) एकीकृत नियमों के अनुसार ऐसी किसी भी सेवाओं या पदों पर चयन न होने या शामिल न होने के कारणों के अलावा राजस्थान सेवाओं के एकीकृत सेटअप में किसी भी पद पर तदर्थ या अनंतिम आधार पर नियुक्त व्यक्ति का निर्वहन निष्कासन या बर्खास्तगी के बराबर होगा।

टिप्पणी - नियम 14 (vii) के तहत बर्खास्तगी के कारण आगे रोजगार के लिए अयोग्यता केवल सरकार द्वारा माफ की जा सकती है यदि किसी व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष को उचित ठहराया जाता है।

इस नियम के अवलोकन से पता चलता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को उसके कदाचार की जांच करने वाले अपराधी कर्मचारी को दंडित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। दण्ड देने वाले प्राधिकारी का विवेकाधिकार ठोस, कानूनी, नियमित, कानून द्वारा निर्देशित और नियम द्वारा शासित होना चाहिए। यह मनमाना, अस्पष्ट और बलपूर्वक नहीं होना चाहिए और अफवाहों द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। नियम में कहा गया है कि "अच्छे और पर्याप्त कारण" दर्ज किए जाने चाहिए जिनके आधार पर जुर्माना लगाया गया है। जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी (15 में से 7) [सीडब्ल्यू-759/2012] दंड आदेश पारित करते समय एक आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाता है, तो यह इस प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। वाक्यांश "अच्छे और पर्याप्त कारण" दुष्कर्म की गंभीरता और प्रकृति को निर्धारित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक व्यापक विवेक प्रदान करता है। 'अच्छे और पर्याप्त कारणों' के बराबर क्या है, यह दंड देने वाले प्राधिकारी के निरंकुश और अनिर्देशित विवेक पर छोड़ दिया जाता है। "अच्छे और पर्याप्त कारणों" का अस्तित्व क्षेत्राधिकार का तथ्य है जिसे एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी को नियम, 1958 के नियम 30 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से पहले पुष्टि करनी चाहिए। सजा के आदेश से व्यथित व्यक्ति उन नियमों के नियम 23 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। इन नियमों का नियम 30 अपील पर विचार करने के बिन्दुओं से संबंधित है। तैयार संदर्भ के लिए नियम 30 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है

"30. अपीलों पर विचार-

(1) निलंबन के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा कि नियम 13 के प्रावधान के आलोक में और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलंबन का आदेश उचित है या नहीं और तदनुसार आदेश की पुष्टि करेगा या रद्द करेगा;

(2) नियम 14 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने वाले आदेश के

खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा;

(क) क्या इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को संकलित किया गया है और यदि नहीं, तो क्या इस तरह के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप संविधान के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है या न्याय की विफलता हुई है;

(ख) जिन तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया था, क्या वे स्थापित हो गए हैं;

(ग) क्या स्थापित तथ्य आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान करते हैं; और

(घ) क्या लगाया गया जुर्माना अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है और सरकारी कर्मचारी को अपने मामले को समझाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद, यदि वह ऐसा चाहता है और आयोग के परामर्श के बाद यदि मामले में ऐसा परामर्श आवश्यक है, तो आदेश पारित करना;

(i) दंड को अलग रखना, कम करना, पुष्टि करना या बढ़ाना; अथवा

(ii) मामले को उस प्राधिकारी को भेजना जिसने जुर्माना लगाया है या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देशों के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे: बशर्ते कि-

(i) अपीलीय प्राधिकारी कोई ऐसा जुर्माना नहीं लगाएगा जिसके विरुद्ध न तो ऐसा प्राधिकारी और न ही आदेश देने वाला प्राधिकारी इस मामले में लगाने में सक्षम है।

(ii) बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को कोई अभ्यावेदन देने का अवसर नहीं दिया जाता है जो इस तरह के बढ़े हुए दंड के खिलाफ करना चाहता है; और

(iii) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगाया जाने वाला बढ़ा हुआ जुर्माना खंड (iv) से (vii) या नियम 14 में विनिदष्ट दंडों में से एक है और इस मामले में नियम 16 के तहत जांच पहले ही नहीं की गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी, नियम 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या निदेश देगा कि ऐसी जांच की जाए और उसके बाद ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करने के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा।

8. अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि दंड के आक्षेपित आदेश में "अच्छे और पर्याप्त कारण" होने चाहिए। इस तरह के आदेशों में दोषी कर्मचारी को उसके खिलाफ कथित किसी भी कदाचार का दोषी ठहराने के ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को शामिल किया जाना चाहिए।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच अधिकारी साक्ष्य के कानून के सख्त नियमों से बाध्य नहीं है, लेकिन जांच अधिकारी की रिपोर्ट एक तर्कसंगत होनी चाहिए और ऐसा करने में विफलता सजा के आदेश को अवैध बनाती है।

10. अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में पारित सजा के आदेश में कुछ कारण होने चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता के साथ-साथ सीसीए नियमों के नियम 14 के अनुपालन के लिए केवल निष्कर्षों की रिकॉर्डिंग पर्याप्त नहीं है। केवल एक लाइन का निष्कर्ष दर्ज करना कि रिकॉर्ड को देखने के बाद, दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से साबित हो गए हैं, पर्याप्त नहीं है। आदेश में ऐसे कारण होने चाहिए, जो दिमाग का इस्तेमाल दिखा सकते हैं और जो जांच रिपोर्ट की सामग्री और संबंधित रिकॉर्ड के लिए सक्षम प्राधिकारी के मानसिक अनुप्रयोग का खुलासा कर सकते हैं। इसके अलावा, अभ्यावेदन में दोषी अधिकारी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए और अच्छे और पर्याप्त कारण दर्ज किए जाने चाहिए कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी।

11. अब इस मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह नशे की हालत में पुलिस लाइन परिसर में जमीन पर गिरा हुआ पाया गया था और उसे चोटें आई थीं और उपरोक्त आचरण के लिए, उसे 1958 के नियमों

के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र दिया गया था और उसे दोषी पाया गया था और दिनांक 17.02.2011 का आदेश संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने के जुर्माने से दंडित किया गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने अपील की और दिनांक 08.11.2011 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया।

12. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 17.02.2011 का आदेश पारित करने से पहले, एक प्रारंभिक जांच की गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अपीलार्थी 17.12.2010 को ड्यूटी पर नहीं था और वह मानसिक रोग से पीड़ित था और उसका इलाज चल रहा था, इसलिए, वह रात में घूमता था।

13. अपीलार्थी ने आरोप-पत्र के साथ विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया, लेकिन अपीलार्थी के बचाव और प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट पर विचार किए बिना, 17.02.2011 के आक्षेपित आदेश में अच्छे और पर्याप्त कारणों को दर्ज किए बिना अपीलार्थी के खिलाफ जुर्माना आदेश पारित किया गया है। एक लाइन का आदेश पारित किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ आरोप साबित हुए और अपीलार्थी का उत्तर असंतोषजनक पाया गया।

14. आदेश में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि कौन से साक्ष्य और दस्तावेज साबित हुए और किस आधार पर टोंक के पुलिस अधीक्षक ने यह निष्कर्ष निकाला था कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप साबित हुए थे। दिनांक 17.02.2011 के आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया गया है, जो विवेक का प्रयोग दर्शाता हो और जो जांच रिपोर्ट की विषय-वस्तु और संबंधित रिकार्ड के प्रति अनुशासनिक प्राधिकारी के मानसिक प्रयोग का खुलासा कर सके। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश एक सकारण आदेश नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि अपीलार्थी नशे की हालत में पाया गया था।

15. इसी प्रकार, अपीलीय प्राधिकारी अर्थात पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर (अर्थात दिनांक 08.11.2011 का आदेश) का आदेश एक सकारण आदेश नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। अपीलीय प्राधिकारी ने 1958 के नियमों के नियम 30 के अंतर्गत निहित प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं किया है।

16. यह सच है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को (15 में से 11) [सीडब्ल्यू -759/2012] अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे आदेशों में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब विभागीय जांच में "कोई साक्ष्य नहीं" हो।

17. न्यायिक समीक्षा के दायरे से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फुलपरी कुमारी (**सुप्रा**) के मामले में पैरा 6.1 और 6.2 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "**6.1.** यह स्थापित कानून है कि विभागीय जांच के अनुसार पारित आदेशों में हस्तक्षेप केवल 'कोई साक्ष्य नहीं' होने की स्थिति में ही हो सकता है। साक्ष्य की पर्याप्तता न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है। आपराधिक मुकदमे में आवश्यक प्रमाण का मानक विभागीय जांच में समान नहीं है। आपराधिक मुकदमे में आवश्यक प्रमाण का मानक विभागीय जांच में समान नहीं है। दूसरी ओर, संभावनाओं की प्रधानता अपराधी को आरोप का दोषी खोजने में अपनाई गई जांच है।
>
> **6.2.** उच्च न्यायालय को साक्ष्यों की फिर से जांच करके और अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अलग दृष्टिकोण लेकर प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था जो जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर आधारित था।

18. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अनुशासनात्मक और अपीलीय प्राधिकारी दोनों ने सरसरी तौर पर काम किया है और अच्छे और पर्याप्त कारण बताए बिना लापरवाह तरीके से आक्षेपित आदेश पारित किए हैं। ये दोनों आदेश विकृत हैं और कानून के अनुसार नहीं हैं। यह सच है कि अनुशासन पुलिस आदि जैसे अनुशासनात्मक बलों की पहचान है और अनुशासनात्मक बलों के प्रत्येक सदस्य से एक अनुशासित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है और उनसे सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर अनुशासन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए या नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर पहुंचना चाहिए। खुले सार्वजनिक स्थान या सड़क पर शराब पीने की

अनुमति नहीं है और यह पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत अपराध है।

19. राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 (संक्षेप में, '1971 के नियम') के नियम 26 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी को नशीली पेय या ड्रग्स से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करना होगा जो किसी भी क्षेत्र में लागू है जिसमें वह कुछ समय के लिए हो सकता है और वह किसी भी पेय या दवा के प्रभाव में सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देगा।

20. यदि प्रत्यर्थियों का मानना था कि अपीलार्थी ने 1971 के नियमों के नियम 26 का उल्लंघन किया है, तो वे अपीलार्थी के खिलाफ किए गए साक्ष्यों और उसके द्वारा किए गए बचाव की सराहना करने के बाद इस तरह के निष्कर्ष को आक्षेपित आदेश में दर्ज कर सकते थे। लेकिन इस मामले में, ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। अनुशासनिक और अपीलीय प्राधिकारी दोनों द्वारा बिना कोई कारण बताए कोई मौखिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

21. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, इस प्रकार की गई जांच सीसीए नियम, 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत अपीलार्थी को सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र दिया गया था, इसलिए, लागू किया गया आदेश पूरी तरह से गैर-सकारण आदेश है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कारणों को दर्ज नहीं किया है और आरोप-पत्र की प्रति प्राप्त करने के बाद दायर अपने स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान के साथ-साथ दलील पर भी विचार नहीं किया है। इसलिए, लागू किया गया आदेश पूरी तरह से गैर-सकारण आदेश है और विचाराधीन जांच भी सीसीए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना की जाती है, जिसमें अपीलार्थी को शराब पीने के बाद पुलिस लाइन परिसर में भटकने का दोषी पाया गया था। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस एन मुखर्जी बनाम भारत संघ (यूओआई) (1990) 4 एससीसी 595** मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, कारणों को दर्ज करने के बाद पारित किया जाना चाहिए और अर्ध न्यायिक प्राधिकारी एक मौखिक आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा 35, 36, 39 और 40 निम्नानुसार हैं:

"35. ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों से संकेत मिलता है कि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता के संबंध में इस न्यायालय का दृष्टिकोण अमेरिकी न्यायालयों के दृष्टिकोण के अनुरूप है। एक महत्वपूर्ण विचार जो अदालत के साथ यह माना गया है कि अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए, ऐसा निर्णय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन है और इसके कारण हैं, यदि दर्ज किया जाता है, तो यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अपीलीय या पर्यवेक्षी शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होगा लेकिन यह एकमात्र विचार नहीं है। इस दृष्टिकोण को अपनाने में न्यायालय के साथ जिन अन्य बातों पर भी विचार किया गया है, वे यह हैं कि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता (i) प्राधिकारी द्वारा विचार की गारंटी होगी; (ii) निर्णयों में स्पष्टता लाएं; और (iii) निर्णय लेने में मनमानी की संभावना को कम करके इस संबंध में, कानून की सामान्य अदालतों और न्यायाधिकरणों और न्यायिक कार्यों का उपयोग करने वाले अधिकारियों के बीच इस आधार पर एक अंतर किया गया है कि एक न्यायमूर्ति को नीति या औचित्य के विचारों से प्रभावित नहीं होने वाली चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि एक कार्यकारी अधिकारी आम तौर पर नीति और औचित्य के दृष्टिकोण से चीजों को देखता है।

36. अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते समय किसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में दर्ज किए जाने पर कारण निस्संदेह अपीलीय या पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन ऊपर उल्लिखित अन्य विचार, जिन्होंने इस न्यायालय ने यह माना है कि एक प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए, कम महत्व के नहीं हैं। इन विचारों से

पता चलता है कि एक प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा कारणों की रिकॉर्डिंग एक अच्छा उद्देश्य प्रदान करती है, अर्थात्, यह मनमानी की संभावना को बाहर करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की डिग्री सुनिश्चित करता है। उक्त उद्देश्य सभी निर्णयों पर समान रूप से लागू होगा और इसका आवेदन उन निर्णयों तक सीमित नहीं हो सकता है जो अपील, संशोधन या न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। हमारी राय में, इसलिए, कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता को अर्ध-न्यायिक कार्यों का उपयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णयों को नियंत्रित करना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि निर्णय अपील, संशोधन या न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि, यह जोड़ा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि कारण कानून की अदालत के निर्णय के रूप में विस्तृत होने चाहिए। कारणों की सीमा और प्रकृति विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। जो आवश्यक है वह यह है कि कारण स्पष्ट हों ताकि यह संकेत दिया जा सके कि प्राधिकारी ने विवाद के बिंदुओं पर उचित विचार किया है। कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता उस मामले में अधिक होती है जहां आदेश मूल चरण में पारित किया जाता है। अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी, यदि वह इस तरह के आदेश की पुष्टि करता है, तो उसे अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, यदि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी चुनौती के तहत आदेश में निहित कारणों से सहमत है।

39. प्राकृतिक न्याय के नियमों में अंतर्निहित उद्देश्य "न्याय के अन्याय को रोकना" और "निष्पक्ष कार्रवाई" को सुरक्षित करना है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता मनमानी की संभावना को छोड़कर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की डिग्री सुनिश्चित करके इस उद्देश्य को प्राप्त करती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विस्तारित क्षितिज को ध्यान में रखते

हुए, हमारी राय है, कि तर्क को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक न्याय के नियम, सन्निहित नियम नहीं हैं। उनके अनुप्रयोग की सीमा उस विशेष सांविधिक ढांचे पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्यों के प्रयोग सहित किसी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष शक्ति के प्रयोग के संबंध में, विधायिका, उक्त शक्ति प्रदान करते समय, यह महसूस कर सकती है कि यह व्यापक जनहित में नहीं होगा कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के कारणों को आदेश में दर्ज किया जाए और पीड़ित पक्ष को सूचित किया जाए और वह ऐसी आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 में निहित इस आशय के स्पष्ट प्रावधान करके ऐसा कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रशासनिक निर्णय (न्यायिक समीक्षा) अधिनियम, 1977 जिसके तहत कुछ निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अधिनियमन के दायरे से बाहर रखा गया है। इस तरह का बहिष्करण विषय-वस्तु की प्रकृति, योजना और अधिनियमन के प्रावधानों से आवश्यक निहितार्थ द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रावधान को नजरअंदाज करने वाला सार्वजनिक हित कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता से प्राप्त लाभकारी उद्देश्य से अधिक होगा। इसलिए, ऐसे मामले में उक्त आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

40. उपरोक्त कारणों के लिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उन मामलों को छोड़कर जहां आवश्यकता को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा छोड़ दिया गया है, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का अभ्यास करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने निर्णय के कारणों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है।

22. इस मामले में, अपीलार्थी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.11.2011 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अपीलार्थी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17.02.2011 के आदेश से पता चलता है कि ये आदेश पूरी तरह से गैर-सकारण वाले आदेश हैं और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच भी नहीं की गई थी।

<u>निष्कर्ष:</u>

23. ऊपर दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, **एसएन मुखर्जी (सुप्रा) के मामले** में निर्णय का पालन करते हुए, इस रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.11.2011 के आदेश और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17.02.2011 के आदेश को प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ नए सिरे से जांच करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है। तथापि, इस प्रकार की जांच इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह माह के भीतर की जाएगी।

24. लागत के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

25. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हैं) का भी निपटान किया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

pcg/simple/710

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।